चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने खोये हुये मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामी को सुपुर्द किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 02.04.2025 को आवेदक महेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र रमाकान्त पाण्डेय निवासी गांधीगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में CEIR पोर्टल पर शिकायत की थी । शिकायत प्राप्त होने पर थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा खोहे हुए मोबाइल की लोकेशन रामघाट घाट पर पायी गयी । थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार व महिला आरक्षी सोना यादव द्वारा अथक प्रयास करते

हुये आज दिनाँक 03.04.2025 को मोबाइल को बरामद किया गया तथा मोबाइल स्वामी महेन्द्र कुमार पाण्डेय उपरोक्त को थाना कोतवाली कर्वी में बुलाकर सुपुर्द किया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया।

<u>बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-</u>

1. आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार
2. महिला आरक्षी सोना यादव

(3). आज दिनाँक 03.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद द्वारा थाना बरगढ़ का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई कराने,मालखाना में रखे शस्त्रो को समय समय पर साफ सफाई कराने,महिला हेल्प डेस्क में आये हुए प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण कराने,थाना कार्यालयों में रजिस्टरों का उचित रख रखाव व अध्यावधिक एवं हवालात को प्रतिदिन साफ सफाई कराने हेतु थानाध्यक्ष बरगढ़ को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी, चौकी प्रभारी हरदीकला श्री राधेश्याम सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 03.04.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2022 धारा 279,429 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अरमान पुत्र वहीद निवासी ग्राम गढ़ी थाना गढीयावा जनपद हरदोई को न्यायालय उठने तक की सजा व 4500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।